उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

Email- soexamfive@gmail.com

पत्रांक :: 455/03/E-5/ DR/RSI/2022-23 दिनाँक :: 26 जून 2023

निस्तारण आदेश

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा–2022** के अंतर्गत डाक/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदन पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए निम्नानुसार प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गए हैं–

<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>अभ्यर्थी का नाम
(अनुक्रमांक)</th><th>निस्तारण आदेश</th></tr>
<tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr>
<tr><td>1</td><td>अर्पित जोशी
(अनुक्रमांक–544281)
प्रत्यावेदन दिनांक 03.06.2023</td><td rowspan="3">राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा–2022 के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षा का आयोजन कार्यालय प्रमुख अधीक्षक, हर मिलाप मिशन जिला चिकित्सालय, हरिद्वार, द्वारा गठित दो सदस्यीय चिकित्सक बोर्ड के दिशा निर्देशन में किया गया, जिसमें उक्तांकित तिथि को कुल 79 अभ्यर्थी में से 44 अभ्यर्थी शारीरिक माप परीक्षा हेतु उपस्थित हुये जिनमें 07 अभ्यर्थियों को दो सदस्यीय चिकित्सक बोर्ड द्वारा सफल घोषित किया गया। शारीरिक माप परीक्षा में आयोग की कोई भूमिका नहीं है तथा प्रश्नगत परीक्षा की सूचिता व पूर्ण पारदर्शिता रखने हेतु सम्पूर्ण परीक्षा की वीडियोग्राफी करायी गयी है। इस प्रकार अभ्यर्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्य भ्रामक व आधारहीन होने के कारण प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>सतनाम सिंह
(अनुक्रमांक–520574)
प्रत्यावेदन दिनांक 05.06.2023</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मनोज पंत
(अनुक्रमांक–502607
प्रत्यावेदन दिनांक 09.06.2023</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अजय कुमार
(अनुक्रमांक–571795)
प्रत्यावेदन दिनांक 07.06.2023</td><td>अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में केवल अनुसूचित जाति श्रेणी का दावा किया गया है तथा दिव्यांगता श्रेणी का कोई दावा नहीं किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा–2022 में केवल राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) का पद दिव्यांगता की श्रेणी डी, एचएच हेतु चिन्हांकित है। जबकि अभ्यर्थी के पास Low Vision का 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उपलब्ध है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिव्यांगता श्रेणी का दावा न करने एवं दिव्यांगता श्रेणी डी, एच नहीं होने के कारण अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।</td></tr>
</table>

उक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

-Sd-

(गिरधारी सिंह रावत)

सचिव।